



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-361/2026/1928/22-2-2024-17(655)/2025
लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रामबहादुर (बन्दी सं०-49286) पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी रजुआपुर, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का निवासी है, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 568/1996 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (आ०व०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 29.01.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 17.12.2019 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 18.05.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष 02 माह 26 दिन तथा 06 वर्ष 11 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-361/2026/1928(1)/22-2-2024 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
- 3- पुलिस अधीक्षक पीलीभीत।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।